<u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम</u> श्रेणी बैहर, बालाघाट म.प्र.

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 518 / 16 संस्थित दिनांक 13.06.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर, जिली बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोजन।

<u>विरुद्ध</u>

1.शेख आबिद पिता शेख गनी, आयु—22 वर्ष, 2.उदय उर्फ चंद्रपाल पिता गिरवरसिंह, आयु—25 वर्ष, दोनों निवासी—कम्पाउन्डरटोला बैहर थाना बैहर, जिला—बालाघाट म0प्र0।

..अभियुक्तगण।

–ःः निर्णय ःः–

—::दिनांक <u>10.07.2017</u> को घोषित::—

- 01— आरोपीगण के विरूद्ध यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 22.05.2014 के रात्रि 10:00 बजे ग्राम सिविल लाईन वार्ड नंबर09, बैहर थाना बैहर अंतर्गत फरियादी राजेन्द्रसिंह के घर में सूर्योदय के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन किया तथा अन्य आरोपी के साथ मिलकर चोरी करने के आशय से फरियादी के घर में घुसकर अधिकृत व्यक्ति की सहमित के बिना उसके आधिपत्य के सामान मोटर सायिकल पल्सर, सैमसंग कम्पनी का मोबाईल एवं टाईटन की घड़ी को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी किया, जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 / 34 के तहत् दण्डनीय अपराध है।
- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी राजेन्द्रसिंह 02-पिता गोरेलाल कुसराम, उम्र–41 वर्ष साकिन सिविल लाईन वार्ड नंबर 09 बैहर ने दिनांक 23.05.2014 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 22.05.2014 की रात्रि 10:00 बजे जब वह बैहर मार्केट से घर पर आया और अपनी लाल कलर की पल्सर 180 सी.सी. की मोटर सायकिल कुमांक एम.पी.50एम.डी.3166 को कमरे में अन्दर रखा था तथा गाडी में चाबी लगी हुई थी और दरवाजा खुला हुआ था। मोटर सायकिल के पास में रखी टी-टेबिल के पास सैमसंग चैम्प कंपनी का मोबाईल एवं टाईटन घडी रखा था। सुबह 07:00 बजे उटा तो देखा कि पल्सर मोटर सायकिल, टी–टेबिल पर रखी सैमसंग चैम्प मोबाईल तथा टाईटन घडी नहीं थे और उसके मकान मालिक चैनलाल टेम्भरे ने बताया कि उसके घर का सैमसंग कंपनी का मोबाईल जिसका आई.एम.ई.आई. नंबर 352698/05/688563/0 कमरे में नहीं है। पल्सर मोटर सायकिल की कीमत करीब 80,000 / - रुपये, दो सैमसंग मोबाईल की कीमत करीब 4,000/— रुपये तथा 2,000/— रुपये कुल 6,000 / - रुपये थी तथा टाईटन घड़ी की कीमत 5,000 / - रुपये थी, को किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। उक्त रिपोर्ट पर थाना बैहर में अपराध क्रमांक 88 / 14 धारा 457, 380 / 34 भा0दं0सं0 पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्श बनाया गया। फरियादी राजेन्द्रसिंह कुसराम एवं गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गए।

आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत यह अभियोग पत्र धारा 457, 380 / 34, 414 भा.दं.सं. के तहत् दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— अभियुक्तगण ने आरोपित अपराध किया जाना अस्वीकार किया है। अभियुक्तगण का विचारण किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रकट किये गये तथ्य एवं परिस्थितियों को अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण कथन अंतर्गत धारा 313 जा०फौ० में अस्वीकार किया है। अभियुक्तगण ने बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।
- 04— प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:—
- 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 22.05.2014 के रात्रि 10:00 बजे ग्राम सिविल लाईन वार्ड नंबर09, बैहर थाना बैहर अंतर्गत फरियादी राजेन्द्रसिंह के घर में सूर्योदय के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन किया ?
- 2. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर अन्य आरोपी के साथ मिलकर चोरी करने के आशय से फरियादी के घर में घुसकर अधिकृत व्यक्ति की सहमित के बिना उसके आधिपत्य के सामान मोटर सायकिल पल्सर, सैमसंग कम्पनी का मोबाईल एवं टाईटन की घड़ी को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी किया ?

_:सकारण निष्कर्ष:-

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 एवं 02

उक्त विचारणीय प्रश्न परस्पर संबंधित होने के कारण साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

05-साक्षी राजेन्द्रसिंह कुशराम (अ.सा.–01) ने कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानता है। घटना दिनांक 22.05.2014 को लगभग 11:00 बजे सिविल लाईन बैहर में चैनलाल टेम्भरे के घर की है, जहां पर वह किराये से रहता है। घटना दिनांक को वह अपने घर के पहले कमरे में अपनी मोटरसाईकिल खड़ा किया था और मोबाईल एवं टाईटन घड़ी घर के पहले कमरे में टी-टेबल के उपर रखा था और घर का दरवाजा बिना संकल लगाये धकेल दिया था। दूसरे दिन जब वह सुबह उठा तो उसके घर में रखा हुआ सैमसंग मोबाईल, टाईटन घड़ी और मोटर सायकिल जिसका नम्बर एम.पी.50 / एम.डी.-3166 जो कमरे में रखे हुई थी किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर ले गया था। उसी रात को ही उसके मकान मालिक चैनलाल ने भी उसका मोबाईल चोरी होना बताया था। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी जो प्र.पी.01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस को उसने घटनास्थल बता दिया था और उसकी निशांदेही पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका–नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि चोरी किया गया सामान दूसरे दिन मिल गया था तथा पुलिस ने उससे पहचान कराई थी। पुलिस ने दिनांक 23. 05.2014 को मोटर सायकिल की पहचान कराई थी तथा शेष सामान की पहचान बाद में कराई थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उसका कोई सामान चोरी नहीं हुआ था और उसने बेवजह चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी।

- 06— साक्षी चैनलाल टेम्भरे (अ०सा०—2) ने कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है तथा वह प्रार्थी राजेन्द्र को जानता है। घटना दिनांक 22.05.2014 को रात्रि के समय की है। उसे दूसरे दिन सुबह राजेन्द्र ने अपनी मोटर सायिकल एवं मोबाईल चोरी होने के संबंध में बताया था तथा उसी रात को उसका भी मोबाईल चोरी हो गया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उसका कोई सामान चोरी नहीं हुआ था तथा राजेन्द्र ने सामान चोरी होने की बात नहीं बताई थी और उन्होंने बेवजह चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी।
- साक्षी प्रवीण कुमार चौहान (अ०सा0–03) ने कहा है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को नहीं पहचानता है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की थी, किन्तु मेमोरेन्डम प्र.पी.03 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी शेख आबिद से कोई जप्ती नहीं की थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्र.पी.04 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अरवीकार किया कि आरोपी शेख आबिद ने प्र.पी.03 के मेमोरेन्डम कथन उसके समक्ष दिये थे, जिसमें उसने बताया था कि मोटर सायकिल को उसने अपने घर के अन्दर छिपाकर रखा है तथा मोबाईल एवं घडी उदयसिंह तथा दीपक के पास है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी शेख आबिद के निकालने पर लाल रंग की पल्सर मोटर सायकिल जप्ती पत्रक प्र.पी.04 के अनुसार जप्त नहीं की थी। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी शेख आबिद को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्र.पी.05 नहीं बनाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के कथन है कि वह पुलिस थाना बैहर में खाने का टिफिन ले जाया करता था, उसी समय पुलिस ने उससे प्र.पी.03, 04 तथा 05 में हस्ताक्षर कराये थे। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्र.पी.03, 04 तथा 05 में हस्ताक्षर करवाते समय आरोपी शेख आबिद वहाँ उपस्थित नहीं था, हस्ताक्षर पुलिस ने एक ही समय पर एक साथ करवाये थे, जिनमें क्या लिखा था, उसने नहीं पढ़ा और ना ही पुलिस ने पढ़कर बताया था।
- 08— साक्षी शंकरलाल कामड़े(30सा0-04) ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उससे पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की थी तथा उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। उसके समक्ष पुलिस ने कुछ बरामद या जप्त नहीं किया था।

अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी उदय पुसाम के मेमोरेन्डम कथन लेख किये थे, जिसमें उसने बताया था कि आरोपी आबिद ने मोटर सायकिल को अपने घर में छुपाकर रखा है तथा सैमसंग कंपनी का मोबाईल और टाईटन कंपनी की घडी उसने अपने घर में छूपाकर रखी है। परन्तु मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.07 पर उसके हस्ताक्षर है। यह भी अस्वीकार किया कि आरोपी उदय द्वारा उसके मकान कम्पाउन्डरटोला बैहर से एक हाथ घड़ी गोल्डन कलर की कीमत पांच हजार रुपये जिसका मॉडल नंबर 531वायएई. था, सेमसंग कंपनी का मोबाईल काले कलर का दो सिम वाला कीमत दो हजार रुपये प्र.पी.08 के अनुसार जप्त किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। जप्ती की कार्यवाही उसके समक्ष हुई थी तभी उसने उसपर हस्ताक्षर किया था। आरोपी उदयकुमार को पुलिस ने उसके समक्ष प्र.पी.09 के अनुसार गिरफ्तार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया कि प्र.पी.07, 08 एवं 09 पर उसके हस्ताक्षर पुलिस ने थाने पर एक साथ करवाये थे और उसे पढकर नहीं बताया था कि दस्तावेजों पर क्या लिखा है।

साक्षी नशीम खान(अ०सा0-05) ने कहा है कि वह आरोपीगण को तथा प्रार्थी राजेन्द्र कुसराम को जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उससे पुलिस ने कोई पुछताछ नहीं की थी तथा उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। उसके समक्ष पुलिस ने कुछ बरामद या जप्त नहीं किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अस्वीकार किया कि आरोपी शेख आबिद ने प्र.पी.03 के मेमोरेन्डम कथन उसके समक्ष दिये थे, जिसमें उसने बताया था कि मोटर सायकिल को उसने अपने घर के अन्दर छिपाकर रखा. है तथा मोबाईल एवं घड़ी उदयसिंह तथा दीपक के पास है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी शेख आबिद के निकालने पर लाल रंग की पल्सर मीटर सायकिल जप्ती पत्रक प्र.पी.04 के अनुसार जप्त नहीं की थी पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी शेख आबिद को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 05 नहीं बनाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्र.पी.03, 04 तथा 05 में हस्ताक्षर पुलिस ने थाने पर एक साथ करवाये थे, जिनमें क्या लिखा था, उसने नहीं पढ़ा और ना ही पुलिस ने पढकर बताया था।

10— साक्षी राजकुमारसिंह ठाकुर (अ०सा०—6) ने कहा है कि वह दिनांक 23.05.2014 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को राजेन्द्रसिंह की सूचना पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क 88/14 अंतर्गत धारा 457, 380 भा.दं.सं. के अंतर्गत एक पल्सर मोटरसाईकिल, दो सैमसंग कंपनी के मोबाईल, एक टाईटन घड़ी की चोरी के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया था, जो प्र.पी.01 है जिसके बी से बी भाग पर

उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही राजेन्द्रसिंह कुशराम के बताये अनुसार घटनास्थल का मौका–नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 25.05.2014 को आरोपी शेख आबिद का मैमोरेण्डम कथन प्र.पी.03 गवाहों के समक्ष तैयार किया था, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी शेख आबिद से गवाहों के समक्ष एक लाल रंग की मोटरसाईकिल चालू हालत में चाबी सहित एवं उसका रजिस्द्रेशन नम्बर प्र.पी.04 के अनुसार जप्त किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके एवं डी से डी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। दिनांक 27.05.2014 को उदय पुसाम का मैमोरेण्डम कथन प्र.पी.07 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके एवं सी से सी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उदय पुसाम से गवाहों के समक्ष टाईटन कंपनी की एक हाथ घड़ी चालू हालत में गोल्डन कलर की कीमत पांच हजार रूपये मॉडल नंबर 531वाय.ए.ई. एवं सैमसंग का मोबाईल कीमत दो हजार रूपये काले कलर का दो सिम वाला मय बैटरी के सिम कार्ड सहित जप्त किया था, जो प्र.पी.08 है जिसके बी से बी भाग पर उसके एवं सी से सी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। दिनांक 25.05.2014 को शेख आबिद को गवाहों के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.05 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके एवं डी से डी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। दिनांक 27.05.2014 को आरोपी उदय पुसाम को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.09 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके एवं सी से सी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है।

राजकुमारसिंह ठाकुर (अ०सा०-6) ने कहा है कि आरोपीगण की गिरफ्तारी की सूचना उसके द्वारा उनके परिवार को दी गई थी, जो प्र.पी.11 एवं प्र.पी.12 है. जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में एक आरोपी दीपक यादव के नाबालिग होने से उसकी कक्षा आठवी की अंकसूची की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न की गई है। विवेचना के दौरान प्रार्थी राजेन्द्र कुसराम, साक्षी चैनलाल, नसीमखान, शेखलाल, शंकर, प्रवीण, रहमान खान के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उसने प्र.पी.01 की रिपोर्ट तथा प्र.पी.02 का मौका नक्शा राजेन्द्र सिंह के बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से थाने में लेख किये थे। साक्षी ने अस्वीकार किया कि प्र.पी.03 का मेमोरेन्डम कथन तथा प्र.पी.04 की जप्ती उसने अपने मन से तैयार की थी और प्रार्थी तथा गवाहों के बयान अपने मन से लेख किये थे। यह भी अस्वीकार किया कि जप्ती पत्रक की कार्यवाही साक्षी शंकरलाल एवं रहमान खान के समक्ष न कर थाने में बैठकर की गई थी।

- विवेचना अधिकारी आर०के० सिंह ठाकुर अ.सा.०६ द्वारा दिनांक 25.05.2014 को आरोपी शेख आबिद के मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.03 लेख कर उक्त दिनांक को ही आरोपी शेख आबिद के आधिपत्य से चौरी की गई मोटर सायकिल जप्ती पत्रक प्र.पी.04 के मुताबिक जप्त करने के कथन किये है। तत्पश्चात दो दिन बाद आरोपी उदय पुसाम के आधिपत्य से मेमोरेन्डम प्र.पी.07 के अनुसार चोरी की गई घड़ी तथा मोबाईल जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.08 तैयार करने के कथन किये है। मेमोरेन्डम तथा जप्ती के साक्षी पूर्णतः पक्षद्रोही रहे है। यदि तर्क के लिए मेमोरेन्डम प्र.पी.03 पर विश्वास किया जाए तो दिनांक 25.05.2014 को ही आरोपी शेख आबिद द्वारा अन्य आरोपीगण की संलिप्तता व्यक्त कर दी गई थी। ततुपश्चात स्थानीय व्यक्ति से स्थानीय क्षेत्र में ही जप्ती करने में दो दिन का समय लगना शंका प्रकट करता है, जिसका कोई स्पष्टीकरण मौजूद नहीं है, क्योंकि प्रकरण में कोई रोजनामचासान्हा पेश नहीं है। प्रकरण में स्वयं परिवादी राजेन्द्र सिंह द्वारा प्रतिपरीक्षण में दूसरे दिन चोरी का सामान मिलने के कथन किये है तथा दिनांक 23.05.2014 को मोटर सायकिल की पहचान करना स्वीकार किया है। आरोपीगण को चोरी करते हुए किसी व्यक्ति ने नहीं देखा है तथा प्रथम सूचन रिपोर्ट प्र.पी.01 अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध लेख होना दर्शित है। प्रकरण में अभियुक्तगण से जप्ती संदिग्ध है। ऐसी स्थिति में मात्र विवेचना अधिकारी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
- 13. उपरोक्त विवेचना से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 22.05.2014 के रात्रि 10:00 बजे ग्राम सिविल लाईन वार्ड नंबर—09, बैहर थाना बैहर अंतर्गत फरियादी राजेन्द्रसिंह के घर में सूर्योदय के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रो गृह भेदन किया तथा अन्य आरोपी के साथ मिलकर चोरी करने के आशय से फरियादी के घर में घुसकर अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना उसके आधिपत्य के सामान मोटर सायिकल पल्सर, सैमसंग कम्पनी का मोबाईल एवं टाईटन की घड़ी को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी किये थे। अतः आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—457, 380 / 34 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 14. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर सायिकल बजाज पल्सर पंजीयन कमांक एम.पी.50 एम.डी.3166 तथा मोबाईल सैमसंग चैक तथा हाथ घड़ी टाईटन कंपनी आवेदक / सुपुर्ददार राजेन्द्र पिता गोरेलाल कुशराम एवं एक मोबाईल सैमसंग कंपनी का मॉडल जी.टी.ई.2252, आई.एम.ई.आई.नंबर 352698 / 05 / 688563 आवेदक / सुपुर्ददार चैनलाल पिता जोगलाल टेम्भरे को सुपुर्दनामा पर दी गई है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात सुपुर्दगीदार के पक्ष मे उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।
- 15. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

case no.518/16 F.N. 234503004522014

16. अभियुक्तगण विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रहे है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / –

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही / –

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

WILHOUS PAROLES TO